भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
01.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1539 का उत्तर

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़

1539. श्री रामजी लाल सुमन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी, 2025 की रात्रि को मची भगदड़ की जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट की वस्तुस्थिति क्या है;
(ख) उक्त घटना के बाद रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ग) उक्त घटना में मारे गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) मृतकों के आश्रितों को प्रदान की गई सहायता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों की जाँच के लिए एक उच्च-स्तरीय जाँच समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत कर दी है।

रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, दिनांक 15.02.25 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 14/15 को जोड़ने वाले पैदल पार पुल- 3 की सीढ़ियों पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। घटना के दिन, स्टेशन पर मौजूद सभी यात्रियों की सम्हलाई के लिए पर्याप्त भीड़ प्रबंधन संबंधी प्रोटोकॉल लागू थे। रात्रि 20.15 बजे के पश्चात पैदल पार पुल पर यात्रियों की भीड़ धीरे-धीरे बढ़ने लगी। कई यात्री सिर पर भारी सामान लादे हुए थे, जिससे पैदल पार पुल पर सुचारू आवाजाही प्रभावित कर रहे थे। यात्रियों में से किसी एक के सिर से भारी सामान गिर गया और इसका दबाव प्लेटफार्म 14/15 की सीढ़ियों पर अन्य यात्रियों पर पड़ा, जिससे सीढ़ियों से गुजरने वाले अन्य यात्री लड़खड़ा गए। इसके कारण रात्रि 20.48 बजे पैदल पार पुल-3 पर यह दुर्घटना हुई, जो पैदल पार पुल की सीढ़ियों तक ही सीमित रही। इसके परिणामस्वरूप, यात्री एक-दूसरे पर गिर गए। इस घटना में 18 व्यक्ति मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और धारा 124-क (धारा 123 के साथ पठित) के तहत यथा परिभाषित रेलगाड़ी दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में रेल यात्रियों के हताहत होने/घायल होने के संबंध में रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) द्वारा पीड़ितों/उनके आश्रितों द्वारा उनके समक्ष दायर किए गए दावा आवेदनों के आधार पर मुआवजे का निर्णय किया जाता है और उचित कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् मामलों का निपटान किया जाता है। रेल प्रशासन तब मुआवजा देता है जब माननीय आरसीटी द्वारा दावेदार के पक्ष में निर्णय दिया जाता है और रेलवे उस आदेश को लागू करने का निर्णय लेती है।

मौजूदा मामले में, प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 10 लाख रु., गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 2.5 लाख रु. और सामान्य रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। तदनुसार, 33 पीड़ितों और उनके परिजनों को कुल 2.01 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

भारतीय रेल द्वारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ की सम्हलाई के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना बनाई है: -

1. 73 चिह्नित स्टेशनों पर स्थायी प्रतीक्षा क्षेत्रों का निर्माण:

    क. वर्ष 2024 के त्यौहारों के दौरान, स्टेशनों के बाहर प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए गए थे। सूरत, उधना, पटना और नई दिल्ली में ये प्रतीक्षा क्षेत्र अधिक भीड़ की संभ्लाई में सक्षम थे। यात्रियों को तभी प्रवेश करने दिया जाता है जब गाड़ी प्लेटफ़ॉर्म पर आती थी।

    ख. महाकुंभ के दौरान प्रयाग क्षेत्र के नौ स्टेशनों पर इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी।

    ग. इन स्टेशनों के अनुभव के आधार पर, देशभर के 73 स्टेशनों पर, जहाँ समय-समय पर अधिक भीड़भाड़ होती है, स्टेशनों के बाहर स्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ी भीड़ को प्रतीक्षा क्षेत्र के भीतर नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को प्लेटफ़ॉर्म पर तभी प्रवेश करने दिया जाएगा जब गाड़ी प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाएँ। इससे प्लेटफ़ॉर्म पर भीड़ कम होगी।

    घ. नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाजियाबाद स्टेशनों पर पायलट परियोजना शुरू की गई है।

2. पहुंच नियंत्रण:

    क. चिह्नित किए गए 73 स्टेशनों पर पूर्ण रूप से पहुंच नियंत्रण शुरू किया जाएगा।

    ख. पुष्टिकृत आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा।

    ग. बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची वाले यात्री बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रतीक्षा करेंगे।

    घ. सभी अनधिकृत प्रवेश स्थल बन्द किए जाएँगे।

3. चौड़े पैदल पार पुल (एफओबी):

    क. 12 मीटर चौड़े (40 फीट) और 6 मीटर चौड़े (20 फीट) मानक पैदल पार पुलों के दो नए डिज़ाइन विकसित किए गए हैं। महाकुंभ के दौरान रैंप वाले चौड़े पैदल पार पुल भीड़ प्रबंधन में काफी प्रभावी रहे। इन नए मानकीकृत चौड़े पैदल पार पुलों को सभी स्टेशनों पर बनाया जाएगा।

4. कैमरे:

    क. महाकुंभ के दौरान कैमरों से भीड़ प्रबंधन में बड़े पैमाने पर सहायता मिली। रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ की कड़ी निगरानी और प्रबंधन में सहायता मिलेगी।

5. वॉर रूम:

    क. बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम बनाए जाएँगे। भीड़भाड़ की स्थिति में सभी विभागों के अधिकारी वॉर रूम में कार्य करेंगे।

6. नई पीढ़ी के संचार उपकरण:

    क. अधिक भीड़भाड़ वाले सभी स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, उद्घोषणा प्रणाली, कॉल प्रणाली जैसे नवीनतम डिज़ाइन के डिजिटल संचार उपकरण लगाए जाएँगे।

7. नए डिज़ाइन वाले पहचान पत्र:

    क. सभी कर्मचारियों और सेवाकर्मियों को नए डिज़ाइन के पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशन में प्रवेश कर सकें।

8. कर्मचारियों के लिए नए डिज़ाइन की वर्दी:

    क. सभी कर्मचारियों को नए डिज़ाइन की वर्दी प्रदान की जाएगी ताकि संकट की स्थिति में उनकी आसानी से पहचान की जा सके।

9. स्टेशन निदेशक पद का उन्नयन:

    क. सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन निदेशक के रूप में कार्यरत होंगे। अन्य सभी विभाग स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।
    ख. स्टेशन निदेशक को वित्तीय अधिकार दिए जाएँगे ताकि वे स्टेशन के सुधार के लिए तत्काल निर्णय ले सकें।

10. क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री:

    क. स्टेशन निदेशक को स्टेशन और उपलब्ध गाड़ियों की क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाएगा।

इसके अलावा, स्टेशनों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए अन्य हितधारकों के समन्वय से निम्नानुसार उपाय किए जा रहे हैं:-

1. भीड़भाड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस/राज्य पुलिस और संबंधित रेलवे विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है।
2. अधिक भीड़ के दौरान भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मियों को तैनात किया जाता है।
3. अधिक भीड़ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए पैदल पार पुल पर राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मियों को तैनात किया जाता है।
4. भीड़ के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए आसूचना इकाइयों (सीआईबी/एसआईबी) और सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता है और तदनुसार राजकीय रेलवे पुलिस/पुलिस को शामिल करके व्यवस्था की गई है।

*****